वित्त एवं योजना विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2013

क्रमांक एफ–1–25/2011/स्था./चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2011 में और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

(1) अनुसूची–एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जावे, अर्थात् :—

अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र. (1)	सेवा का नाम/पदनाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)
	छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा	516	तृतीय श्रेणी	9300–34800 ग्रेड वेतन 4300
1.	सहायक कोषालय अधिकारी			
2.	उप कोषालय अधिकारी			
3.	सहायक लेखाधिकारी			
4.	कनिष्ठ लेखाधिकारी			
5.	व्याख्याता लेखा प्रशिक्षण शाला			
6.	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी			

No. F-1-25/2011/Est./four.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Subordinate Account Services (Recruitment and Conditions of Service) Rule 2011, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. For the existing schedule-I the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-I
(See rule 5)

S. No. (1)	Name of Service/Post Name. (2)	Number of Post (3)	Classification (4)	Pay Scale (5)
	Chhattisgarh Subordinate Account Service.	516	Class-III	9300-34800 Grade Pay 4300
1.	Assistant Treasury Officer			
2.	Sub Treasury Officer			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Assistant Account Officer	516	Class-III	9300-34800 Grade Pay 4300
4.	Junior Account Officer			
5.	Lacturer Account Training School			
6.	Assistant Internal Audit Officer			

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 8-1/2012/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स एन.एस.पी.सी.एल. (एन.टी.पी.सी. सेल पॉवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड), पुरैना, भिलाई, जिला दुर्ग के बॉयलर क्रमांक C.G./343 को दिनांक 20-12-2012 से 31-03-2013 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.